न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 2022 / 226 / भीलवाडा

विभागीय अपील द्वारा श्री रामप्रसाद खटीक, तत्कालीन तहसीलदार आसींद जिला भीलवाडा हाल तहसीलदार सलुम्बर जिला उदयपुर विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, भीलवाडा के आदेश क्रमांक सहायता / वि0जांच / सीसीए–17 / 2020 / 16873 दिनांक 04.10.2020 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी / अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री रामप्रसाद खटीक, तत्कालीन तहसीलदार आसींद जिला भीलवाडा हाल तहसीलदार सलुम्बर जिला उदयपुर

निर्णय

दिनांकः– 18.10.2022

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भीलवाडा के आदेश क्रमांक सहायता / वि0जांच / सीसीए–17 / 2020 / 16873 दिनांक 04.10.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

जिला कलक्टर भीलवाडा ने अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन क्रमांक सहायता / वि0जांच / सीसीए–17 / 2020 / 16534 दिनांक 21.09.2020 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी पर निम्न आरोप लगाये गयेः–

1- न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 48 / 2020 निर्णय दिनांक 02.09.2020 को ग्राम कुराछो का खेडा, तहसील आसीन्द के आराजी संख्या 353, 355, 356, 357, 358, 359 एवं प्रकरण संख्या 49 / 2020 निर्णय दिनांक 02.09.2020 को ग्राम कुराछो का खेडा, तहसील आसीन्द के आराजी संख्या 360 पर विपक्षीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। दिनांक 03.09.2020 को वादी श्री सत्यप्रकाश डीडवानिया द्वारा उक्त निर्णय के संबंध मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपको सूचित किया। जिसकी प्राप्ति रसीद पर दिनांक 03.09.2020

अंकित है। आप द्वारा बाजूद सूचना के खसरा नम्बर 355, 358, एवं 360 का नामान्तरण संख्या क्रमशः 395, 396 एवं 397 दिनांक 05.09.2020 से दर्ज किया गया। आप द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के स्थगन आदेश के बावजूद दिनांक 05.09.2020 को राजकीय अवकाश के दिन नामान्तकरण दर्ज कर न्यायालय निर्णय की अवहेलना की है।

अपीलार्थी को 07 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 06.10.2020 को जवाब प्रस्तुत कर उस पर आरोपित आरोपों को अस्वीकार किया गया। जिला भीलवाडा द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर भीलवाडा के दण्डादेश दिनांक 04.10.2020 को इस अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी तहसीलदार को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर भीलवाडा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थीया को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर जिला कलक्टर भीलवाडा, से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके द्वारा अपचारी अधिकारी की दिनांक 29.10.2020 को व्यक्तिगत सुनवाई की जाकर जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश क्रमांक 16873 दिनांक 05.11.2020 से दण्डादेश जारी किया गया, किन्तु सहवन से दण्डादेश दिनांक 05.11.2020 के बजाय 04.10.2020 अंकित हो गई। इस संबंध मे जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश क्रमांक 16985 दिनांक 10.12.2021 से संशोधित आदेश जारी किया गया। अपीलार्थी अपने आक्षेपित आचरण, त्रुटिपूर्ण कार्यव्यवहार एवं सेवा के प्रति गंभीर दोषी होने के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच की कार्यवाही करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया था।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र के संबंध मे दिनांक 03.09.2020 को वादी सत्यनारायण डीडवानिया द्वारा निर्णय के संबंध मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पटवारी हल्का रूपपुरा को भेजा जाकर पटवारी द्वारा ग्राम कुराछो का खेडा ने नामान्तकरण संख्या 396, 397, 398 दिनांक 02.09.2020 को दर्ज किया जाकर भू0अ0नि0 से दिनांक 04.09.2020 को जॉच करवाकर अपीलार्थी

द्वारा रूटीन मे दिनांक 05.09.2020 को नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया। अपीलार्थी को स्थगन की जानकारी मिलते ही पटवारी हल्का से नामान्तकरण फाईल मगवाई गई तथा स्थगन नोट लगाया जाकर पूर्व स्थिति खातेदार का नाम इन्द्राज कर दिया गया। अतः अपीलार्थी ने जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा जारी आदेश क्रमांक सहायता/वि0जांच/सीसीए–17/2020/16873 दिनांक 04.10.2020 संशोधित दिनांक 05.11.2020 को अपास्त करने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी तहसीलदार को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी अधिकारी द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अपीलार्थी द्वारा भूलवश की गई गलती को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को स्थगन की जानकारी मिलते ही पटवारी हल्का से नामान्तकरण पत्रावली तलब कर स्थगन का नोट लगाया जाकर पूर्व स्थिति खातेदार का नाम इन्द्राज कर दिया गया। जिला कलक्टर भीलवाडा ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार व नजर अन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 04.10.2020 संशेाधित दिनांक 05.11.2020 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री रामप्रसाद खटीक, तत्कालीन तहसीलदार आसींद जिला भीलवाडा हाल तहसीलदार सलुम्बर जिला उदयपुर विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, भीलवाडा की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किया जाता है तथा जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 04.10.2020 संशेाधित दिनांक 05.11.2020 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(भंवर लाल मेहरा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर